न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 41/23 GCMS NO 2023/119

रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी खवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मुकेश कुमार सालोदिया पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति रेगर निवासी वार्ड न0 8 निवासी तहसील निवाई जिला टोंक
2. इन्द्रराज पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी खवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. रामहरीश पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी खवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. बृजेश पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी खवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 24/21 निर्णय दिनांक 12.4.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री धीरेन्द्र पाल सिह

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,श्री मनीष तंवर

दिनांक 24.3.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 12.4.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 मुकेश कुमार सालोदिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत कायम रिसीवर इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल ख0न0 52/1065 रकबा 0.13 है0, ख0न0 56 रकबा 0.41 है0, ख0न0 60/1092 रकबा 0.52 है0, ख0न0 68 रकबा 0.58 है0 कुल रकबा 2.08 है0 ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने कुछ हिस्से मे अमरूदो के पेड लगा रखे है । अप्रार्थीगण आये दिन विवाद पैदा करते रहते है इसलिए प्रार्थी ने अलग से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी पेश कर रखा है। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। अप्रार्थीगण को यह पूर्ण जानकारी है कि उन्हे अदालत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करते है। दिनांक 2.9.21 को प्रार्थी अपने खेत पर था इतने मे ही अप्रार्थीगण आ गये तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वे प्रार्थी के खेत मे लगे हुए अमरूदो के पेडो को नष्ट कर देगे तथा प्रार्थी को बगीचे से लाभान्वित नही होने देगे। अप्रार्थी... की भूमि को वेस्ट एवं डेमेज करने पर आमादा है। इसलिए उक्त भूमि... रिसीवर नियुक्त किया जावे। जिससे प्रार्थी की भूमि मे खडे... वेस्ट एवं डेमेज नही कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रखे। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण ताकतवर व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की काश्त मे मजाहमत पैदा करते रहते है। अतः भूमि हाल ख0न0 ख0न0 52/1065 रकबा 0.13 है0, ख0न0 56 रकबा 0.41 है0, ख0न0 60/1092 रकबा 0.52 है0, ख0न0 68 रकबा 0.58 है0 कुल रकबा 2.08 है0 ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर पर तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.4.23 रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व रिकार्ड व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 2 के/प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्व वाद उनवानी मुकेश कुमार बनाम रामस्वरूप प्रकरण संख्या 41/21 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पो0 एक होटल माफिया से जुडा हुआ व्यक्ति है जो छल कपट पूर्वक फर्जी दस्तावेज व फर्जी बयनामा तस्दीक कराके अपीलार्थी की जैर कृषि आराजी जो अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 2 के पिता मोतीलाल की खरीद शुदा भूमि है। जिसमें मोतीलाल द्वारा कुआ खुदवाया गया एवं कुओ पर कृषि विधुत कनेक्शन भी ले रखा है एवं अमरूदो का बगीचा लगा रखा है जिस पर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 अपने पिता के समय से ही काश्त कर फसल का लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है रेस्पो0 संख्या 1 उक्त भूमि को हडपने एवं काश्त काबिज होने की नियत से मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यो पर वाद पत्र पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी द्वारा अपना जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया एवं मेटर आफ कन्टोंवसी को डिसाईड करने हेतु जैर आराजीयात की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने दिनाक 3.2.23 को अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा सहमति दी गई जिस पर तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश दिये गये। जैर आराजीयात अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 1 के कब्जे काश्त की है एवं वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का था जिसके लिए वादी को अपना कब्जा सिद्व करना कानूनन आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से साज कर अपनी पदीय शक्तियो का दुरूपयोग करते हुए विधि विरूद्व तरीके से व नियम विरूद्व रिसीवर के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाकर जैर आराजीयात को कब्जे राज लिये जा[illegible] किये गये है। इसलिए जैर आदेश निरस्त योग्य है। आराजीयात अपीलार्थी [illegible] 2 के पिता की खरीदशुदा आराजीयात है जिसका अंकर गिरद[illegible] किया जाकर विधुत कनेक्शन किया हुआ है। उक्त [illegible] कब्जे मे चली आ रही है। जैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:53 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आराजीयात इन मिडियो नही थी एवं रिसीवरी कायमी का जैर आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। जब तक दावे मे यह साबित नही हो जावे कि जैर आराजीयात मे पूर्व मे किसका कब्जा है तब तक रिसीवरी कायम किया जाना कानून के विरूद्व है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश इल्लीगल,इम्प्रोपर होने से खारिज योग्य है। जैर निर्णय की जानकारी न्यायालय के कर्मचारियो के हडताल पर चले जाने एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान मे प्रशासन के व्यस्त चलने के कारण तथा अपीलार्थी इस सदभाविक विश्वास मे की अधिनस्थ न्यायालय पहले तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर ही निर्णय पारित करेगा । दिनांक 12.6.23 को रेस्पो0 संख्या 1 ने जैर आराजीयात पर आकर कहा कि हमने अपने रसूख का उपयोग कर इस जमीन की रिसीवरी के आदेश करवा लिये है जब जैर आदेश की जानकारी कर नकल प्राप्त की गई। इस प्रकार अपील पेश करने मे हुए डिले को कण्डोन किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम संलग्न कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि भूमि हाल ख0न0 52/1065 रकबा 0.13 है0, ख0न0 56 रकबा 0.41 है0, ख0न0 60/1092 रकबा 0.52 है0, ख0न0 68 रकबा 0.58 है0 कुल रकबा 2.08 है0 ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। जिसकी खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 90 मे अंकित राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी/रेस्पो0 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अमरूदो के पेड लगाकर बगीचा लगा रखा है जिनको अपीलाट/अप्रार्थीगण जबरन नष्ट कर आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है। उक्त आराजीयात के बाबत अपीलांट आये दिन विवाद पैदा करते रहते है इसके कारण ही रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया हुआ है उसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। जिसके उपरान्त भी अपीलांट द्वारा बार बार विवाद उत्पन्न करते है इस कारण रेस्पो/प्रार्थी द्वारा पृथक से प्रार्थना पत्र कायम रिसीवरी का पेश करना आवश्यक हुआ था। चूकिः भूमि वर्तमान मे रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसे प्रार्थी रहन बेचान करे या रिसीवर नियुक्त करावे इसके लिए प्रार्थी/रेस्पो0 को कानूनन अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 (2) के तहत निहित प्रावधानो के अनुसरण मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधि के अनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0न0 52/1065 रकबा 0.13 है0, ख0न0 56 रकबा 0.41 है0, ख0न0 60/1092 रकबा 0.52 है0, ख0न0 68 रकबा 0.58 है0, ख0न0 60 रकबा 0.44 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.08 है0 ग्राम खवा तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। जिसकी खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 90 मे अंकित राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी/रेस्पो0 के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया है जिसके साथ नकल आदेशिका अधिनस्थ न्यायालय दावा प्रकरण संख्या 41/21 उनवानी मुकेश बनाम रामस्वरूप व जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम की प्रति पेश की गई है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकेश द्वारा दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाही गई है। जिसे रेस्पो0 द्वारा स्वयं स्वीकृत किया गया है कि अपीलांट द्वारा बार बार रेस्पो/प्रार्थी की आराजीयात मे व्यवधान पैदा करने के कारण ही स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण/अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के फलस्वरूप भी अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात मे व्यवधान पैदा करने के कारण ही प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र कायम रिसीवर पेश किया गया था। जबकि किसी रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात मे अन्य दीगर व्यक्ति को व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है साथ ही विवादित आराजीयात अनुसूचित जाति की है जिस पर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कब्जा करने का कोई अधिकार नही है क्योकि यह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के तहत प्रतिबंधित है। इस प्रकार प्रार्थी/रेस्पो0 उक्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से उक्त आराजीयात को रहन बेचान एवं रिसीवर नियुक्त कराने का अधिकार रखता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत ही विवादित आराजीयात पर तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाकर विवादित आराजीयात को कब्जे राज लिये जाने के आदेश पारित किये गये है। जो विधिक आदेश है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 24/21 मे पारित निर्णय दिनांक 12.4.2023 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:49:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner